भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2778
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना

2778. श्री डी० कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या देश में भारी उद्योगों के विकास हेतु नई राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): उद्योग राज्य का विषय है। अत: भारी उद्योग विभाग के पास सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उद्यमों के जरिए देश के विभिन्न भागों में भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तक सीमित है।

(ख): जी, नहीं।

*****